की अनुमानित संख्या 90 लाख है जिसमें से लगभग 55 प्रतिशत दृष्टिहीनता का कारण मोतियाबिन्द है। मोतियाबिन्द से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में हुई वार्षिक वृद्धि का हिसाब लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गये मोतियाबिन्द के आपरेशनों की संख्या निम्नलिखित बताई गई है :—

1981–82 . .	5.5 लाख
1982–83 . .	8.5 लाख
1983–84 . .	10.45 लाख

वर्ष 1984–85 के दौरान 12.78 लाख मोतियाबिन्द के आपरेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) मोतियाबिन्द बुढ़ापे में होने वाली एक शरीरिक प्रक्रिया है। जब लैंस कमजोर पड़ जाते हैं इस रोग का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। लेकिन शल्य-चिकित्सा द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है और मोतियाबिन्द से होने वाली अन्धता ठीक की जा सकती है।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम एक शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित प्लान योजना के रूप में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मोबाइल यूनिटों मेडिकल कालेजों में उन्नत नेत्र चिकित्सा विज्ञान विभाग खोल कर जिला अस्पतालों में नेत्र चिकित्सा विभाग का विकास कर, उपकरणों से युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, क्षेत्रीय नेत्र चिकित्सा संस्थानों का विकास कर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में तैनात करने के लिये नेत्र चिकित्सा सहायकों के प्रशिक्षण के लिये नेत्र चिकित्सा प्रशिक्षण स्कूल खोलकर नेत्र परिचर्या सेवायें प्रदान करने की बात कही गई है।

बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाले अन्धेपन को रोकने के लिये विटामिन "ए" की बड़ी खुराक पिलाने की एक योजना भी चलाई जा रही है यह योजना सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में चलाई जा रही है।

सिंचाई मंत्रालय में प्रतिवेदनों तथा अन्य प्रकाशनों का हिन्दी रूपान्तर

357. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इनके मंत्रालय के ऐसे कितने प्रतिवेदन या अन्य प्रकाशन हैं जो अंग्रेजी में तो प्रकाशित कर दिये गए हैं किन्तु अभी तक हिन्दी में प्रकाशित नहीं किए गए हैं तथा वे किस वर्ष से सम्बन्धित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हिन्दी के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस मंत्रालय की सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) कुछ रिपोर्टें बृहदाकार हैं और आन्तरिक उपयोग के लिए हैं। इन रिपोर्टों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए मंत्रालय में पर्याप्त सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य अर्थ में "रिपोर्ट" शब्द को नेमी सूचना हेतु प्रयोग किया जाता है जो आन्तरिक उपयोग के लिए है।

(ग) सिंचाई मंत्रालय में हिन्दी के स्टाफ में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है?

विवरण

क्रम सं०	रिपोर्ट/प्रकाशन का शीर्षक	प्रकाशन का वर्ष	टिप्पणी
1	राष्ट्रीय बाढ़ आयोग	1980	हिन्दी रूपान्तर मुद्रण हेतु भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक को 22.2.1984 को भेज दिया गया है ।
2	राष्ट्रीय सिंचाई आयोग	1972	
3	वर्ष 1980-85 के लिए छठी योजना के प्रस्ताव तैयार करने हेतु लघु सिंचाई पर कार्यदल की रिपोर्ट	1980	
4	भू-जल लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से भारत में सिंचाई का विकास ।	1981	
5	भारत में भू-जल विकास	1981	
6	लघु सिंचाई के राज्यवार आंकड़े	1983	
7	छिड़काव तथा डिप सिंचाई प्रणालियों पर सेमिनार ।	1984	
8	सी० ए० डी० कार्यक्रम के लिए प्रबन्ध सूचना प्रणाली के लिए उप-दल की रिपोर्ट।	1982	
9	सिंचाई परियोजनाओं में वारबन्दी पर मैनुअल	1982	
10	सिंचाई जल आवश्यकताओं के प्राक्कलन के लिए गाईड ।	1984	
11	सी०ए०डी०पी० के संगठनात्मक ढांचे पर उच्च-स्तरीय समिति की रिपोर्ट ।	1982	
12	सिंचाई तथा बहुप्रयोजनी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए दिशा निर्देशों पर कार्यदल की रिपोर्ट।	1981	
13	नदी घाटी परियोजनाओं की लागत नियंत्रण पर समिति की रिपोर्ट।	1981	